प्रेस विज्ञप्ति

12.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने अल्प्राजोलम, एक नशीले पदार्थ के अवैध निर्माण और बिक्री से संबंधित धन शोधन की जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 11.02.2026 को 4.79 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियां गिरमागौनी सुधीर, बिश्वेश्वर सिंह, राजेश्वर शर्मा जोशी, भवानीगारी प्रभु वारा गौड़, गज्जेला श्रीशैलम गौड़ और अन्य की हैं और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित हैं। ईडी ने अल्प्राज़ोलम के अवैध निर्माण, बिक्री और खरीद में शामिल विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ संगारेड्डी जिले के गुम्मादिदला पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि गिरमागौनी सुधीर 2014 से अपने भाई भवानीगारी प्रभुवर गौड़ और बहनोई गजेला श्रीशैलम गौड़ की मदद से कमीशन के आधार पर अल्प्राज़ोलम की खरीद-बिक्री के धंधे में शामिल था। वे ताड़ी विक्रेताओं को अल्प्राज़ोलम बेचते थे, जो ताड़ी में मिलाकर उसकी शक्ति बढ़ाते थे। बाद में, उसने बिश्वेश्वर सिंह की मदद से इस अवैध धंधे को और बढ़ा दिया। 2023 में, जी सुधीर गौड़ और बिश्वेश्वर सिंह ने राजेश्वर शर्मा जोशी के साथ साझेदारी में हैदराबाद के अब्दुल्लापुरमेट जिले के बचाराम गांव में साई प्रिया केमिकल्स की एक फैक्ट्री खरीदी और उसका नाम बदलकर स्टैनकेम केमिकल्स कर दिया। आरोपियों ने उक्त फैक्ट्री परिसर में अल्प्राज़ोलम का उत्पादन शुरू किया। अल्प्राज़ोलम की बिक्री से प्राप्त आय को वे फैक्ट्री में अपने निवेश के अनुपात में आपस में बांटते थे।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि अल्प्राज़ोलम के अवैध निर्माण और बिक्री से प्राप्त अपराध की धनराशि आरोपियों को नकद में मिली थी। इस धनराशि का उपयोग या तो अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे नकद भुगतान के रूप में किया गया था या बैंक खातों में नकद जमा करने और बाद में उसी राशि का उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था। नकद जमा उनके खातों के साथ-साथ उनकी पत्नियों के बैंक खातों में भी किए गए थे। अचल संपत्तियां उनके नाम के साथ-साथ उनकी पत्नियों के नाम पर भी खरीदी गई थीं।

इससे पहले, ईडी ने 21.08.2025 को इस मामले में सात परिसरों पर तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज, 5,00,000 रुपये की भारतीय मुद्रा, 834 अमेरिकी डॉलर और 1910 यूरो की विदेशी मुद्रा, 100 ग्राम सोने की एक सिल्ली और लगभग 2996.231 ग्राम वजन की 17 चांदी की छड़ें जब्त की गईं।

आगे की जांच जारी है।